बाल श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

3012. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लाखों बच्चे अपनी आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम करते हैं और इस प्रकार वे शिक्षा और स्वास्थ्य आदि बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए कोई प्रभावी और ठोस उपाय करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) बाल श्रम के बारे में 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। बच्चों के सरोकार तथा बाल श्रम की समस्या गंभीर चिंता का विषय बनी रही है तथा हर सरकार ने इसके उन्मूलन के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है। 13 व्यवसायों व 51 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन निषिद्ध किया गया है। इन व्यवसायों व प्रक्रियाओं की सूची बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में दी गई है। अन्य व्यवसायों व प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की शर्तों को अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। अधिनियम के तहत प्रतिषिद्ध व्यवसायों व प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं पर अभियोजन चलाया जा सकता है। कानून के बाल श्रम संबंधी उपबंधों के प्रवर्तन हेतु प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार के पास प्रवर्तन तंत्र है। केन्द्र सरकार, आवधिक विवरणियों के माध्यम से, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है।

विधिक उपायों के अलावा, सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्यमुक्त कराने व पुनर्वास हेतु, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की योजना के माध्यम से कार्रवाई की है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की योजना के तहत पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार, वृत्तिका, स्वास्थ्य देखरेख आदि के प्रावधान हैं। 1.5 लाख बच्चों की कवरेज हेतु, बाल श्रमिक बहुल राज्यों में, अब तक 77 बाल श्रम परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के समग्र पर्यवेक्षण, प्रबोधन व मूल्यांकन हेतु एक केन्द्रीय प्रबोधन समिति गठित की गई है।

Employment Generation

3013. DR. B.B. DUTTA Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that employment generation in the Ninth Plan period (1997—2002) has so far been behind schedule;

(b) if so, the factual position thereof;

(c) whether the rigid labour laws was one of the factors inhabiting growth of unemployment;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps taken/proposed to create more employment opportunities, during the remaining period of Ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARYAN JATIYA): (a) and (b) As per an assessment carried out by the Planning Commission the employment, as per usual Status, for age group fifteen years and above grew at the rate of 2.67% per annum during the period 1992—97.

An assessment of growth in employment opportunities during the 9th Plan has been done by the Planning Commission on the basis of targeted growth of GDP during the plan and its sectoral composition. As per this assessment, the employment is expected to grow at 2.44% per annum during the 9th Plan.

(c) and (d) There is no evidence to show that Labour Laws have adverse effects on employment generation.

(e) the primary objective of the Ninth Plan is to generate greater productive employment in the growth process itself by concentrating on sectors, sub-sectors and technologies which are more labour intensive in region characterised by higher rates of unemployment and under employment.